कृषि एवं सहकारिता विभाग

नागरिक घोषषा - पत्र

यह विभाग भारत की जनता की खाद्य सुरक्षा, कल्याण और सामान्य तौर पर कृषक समुदाय की आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है ।

- प्रस्तावना
- परिदृश्य
- विभाग द्वारा सम्पादित कार्य व्यापार के ब्यौरे
- ग्राहकों के केन्द्रिक कार्यक्रम
- लोक शिकायत निवारण तंत्र
- संविदा मुद्दे

- प्रस्तावना

कृषि एवं सहकारिता विभाग मंत्रालय के 3 घटक विभागों में से एक है । विभाग को 24 प्रभागों और 1 तिलहन, दलहन एवं मक्का प्रोघौगिकी मिशन मे व्यवस्थित किया गया है । इसके 4 संबद्ध कायार्लय और 21 अधीनस्थ कार्यालय हैं जो राज्य स्तरीय कृषि एजेंसियों के साथ समन्वयन के लिए तथा अपने संबंधित क्षेत्रों में केन्द्र क्षेत्रीय स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए समग्र भारत में फैले हुए हैं । इसमें 2 सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), 7 स्वशासी निकाय, 11 राष्ट्र स्तरीय सहकारी संगठन और विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में दो प्राधिकरण है ।

- परिदृश्य

कृषि राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित के लिए प्रमुख आर्थिक क्षेत्र है तथा हमारे देशवासियों की 50 प्रतिशत से अधिक को आजिविका प्रदान करता है । सकल घरेलू उत्पाद मे पिछले 5 दशकों से अधिक कृषि का योगदान औघोगिकी एवं सेवा क्षेत्रों के तुलना में घटा है ऐसा इन क्षेत्रों में क्रमिक उच्चतर विकास के कारण हुआ है । अभी भी उघोग के लिए असंख्य कच्चे सामग्रियों तथा कृषि गैर-कृषि क्षेत्र द्वारा अपेक्षित बहुतायत में समान उपलब्ध कराता है । देश के

आर्थिक विकास में कृषि के योगदान को कम नहीं आंका जा सकता । 11 वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के लिए 4 प्रतिशत विकास दर पर विचार किया गया है । कृषि एक राज्य का विषय है और इसलिए राज्य ही कृषि क्षेत्र के प्रमुख चालक हैं तथापि, बिना केन्द्रीय सहायता, नीति एवं कार्यक्रम समन्वयन खाद्य सुरक्षा और 4 प्रतिशत के लक्षित विकास को प्राप्त कराना संभव नहीं होगा । कृषि में विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान करने के लिए भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग (कृषि मंत्रालय) ने विभिन्न नई पहलों और कृषि स्कीमों जैसे - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), बृहत कृषि प्रबंधन और समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम एवं मक्का स्कीम को चालू योजनावधि के दौरान शुरू किया है ।

- **विभाग द्वारा सम्पादित कार्य - व्यापार के ब्यौरे**

➢ देश की भूमि, जल, मृदा एवं पौध संसाधनों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से तीव्र वृद्धि एवं विकास करने के लिए राष्ट्रीय नीतियों एवं कार्यक्रमों का निरूपण करता है एवं कार्यान्वयन करता है ।

➢ कृषि क्षेत्र में विकासात्मक एवं प्रगामी योजना शुरू करता है ।

➢ प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में दुर्लभ राहत उपायों को शुरू करने में राज्यों को सहायता करता है ।

➢ सहयोग एवं सहकारी संगठनों, सहकारी प्रशिक्षण एवं शिक्षा से संबधित सहकारी नीति का निरूपण करता है ।

➢ कृषि उत्पाद के विपणन का समेकित विकास कार्य का सम्पादन करता है तथा सामान्य तौर पर कृषक के आर्थिक हितों का संरक्षण करता है ।

➢ समेकित विस्तार सेवाओं के उद्देश्य से एनजीओ के कृषक संगठनों तथा कृषि विश्वविद्यालयों को शामिल करते हुए नई सांस्थानिक व्यवस्थाओं को अपनाते हुए कृषि विस्तार सेवा में सुधार करने के लिए नीतियों का निरूपण करता है ।

➢ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. (नेफेड) तथा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) के माध्यम से सहकारी आंदोलन का सुदृढ़ीकरण करता है ।

➢ कृषि उत्पादन मे संलग्न विभिन्न कार्यकताओं को शिक्षा एवं सूचना प्रसारण के माध्यम से पौध संरक्षण उपायों एवं प्रथाओं को बढ़ावा देता है ।

➢ संवर्द्धनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि एवं बागवानी फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने के राज्य सरकारों के प्रयासों का संपूरण करता है ।

- उत्पादकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिको द्वारा विकसित उन्नत पौध किस्मों के गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन एवं वितरण के लिए उपायों को बढ़ावा देता है ।
- कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देता है ।
- संभावित पनधाराओं के समग्र एवं समेकित विकास के लिए लोगों की भागीदारी तथा आय बढ़ाने के लिए कृषि पद्धति दृष्टिकोण तथा कृषि समुदायों के पोषण स्तरों को बढ़ावा देने के माध्यम से वर्षासिंचित खेती के लिए उपयुक्त कार्यनीतियों का विकास करता है ।
- भूमि प्रयोगों, फसलन पद्धति, काश्तकारी, सिंचाई, बीजों, प्रचालनात्मक जोत आकारों का वितरण एवं विभिन्न आदानों की खपत संबंधी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए राज्यों के माध्यम से कृषि संगणना एवं आदान सर्वेक्षण आयोजित करता है ।

<u>गाहक से संबंधित विभाग के कुछ कार्यक्रम</u>

- कृषि बीमा
- ग्रामीण भण्डारण योजना
- किसान कॉल सेन्टर
- एन सी डी सी के जरिये सहकारिता विकास कार्यक्रम
- सुचना की अधिकार प्रणाली का प्रचालन
- सूचना एवं सुविधा केन्द्र
- भारत में कृषि मजदूरी पर जानकारी का प्रचार प्रसार
- बीज ग्राम कार्यक्रम
- किसान क्रेडिट कार्ड

- सहकारी भण्डारण/शीतागार

- न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत नैफेड के जरिये मूल्य समर्थन स्कीम

- ग्रामीण गोदामों का निर्माण

शिकायत निपटान प्रणाली का ब्यौरा तथा इस प्रणाली तक कैसे पहुचें

शिकायत का निपटान

- यह विभाग निम्नलिखित के माध्यम से उत्तरदायी एवं प्रभावी ढंग से शिकायतों के निपटान के लिए सक्रिय है-

- विभाग में तथा साथ ही सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में एक शिकायत कक्ष की स्थापना की गई है ताकि प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के जरिये या सीधे कर्मचारियों तथा साधारण व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों का तेजी से निपटान किया जा सके ।

- संयुक्त सचिव (प्रशा.) शिकायतों का तेजी से निपटान सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त सचिव (लोक शिकायत) के रूप मे काम करता है । प्रत्येक बुधवार को 10.00 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न तक सार्वजनिक व्यक्ति अपनी शिकायतों के मामले में संयुक्त सचिव (लोक शिकायत) से मुलाकात कर सकते हैं ।

- विभाग में महिला कर्मचारियों की यौन शोषण संबंधी शिकायतों का निपटान करने के लिये एक शिकायत समिति का गठन किया गया है ।

- यह विभाग कार्यक्रमों के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में कार्यवाही करेगा तथा केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों तथा स्कीमों के समय पर क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकारों के साथ शिकायतों के निपटान के

लिये विचार विमर्श भी करेगा ।

- विभाग के लोग शिकायत कक्ष का ई- मेल पता ompg-agri@nic.in है ।
- यह विभाग शिकायतों की पूर्ण जानकारी देने के लिये पणधारकों से अपील करता है ताकि संबंधित मुद्दों को समय पर निपटान किया जा सके । किसी भी स्थिति में पणधारकों से इस प्रकार से प्राप्त शिकायतों को यथाशीघ्र निपटाने का हमारा प्रयास होगा ।
- लोक के प्रति हमारी प्रतिक्रिया में और अधिक सुधार लाने के लिये नागरिक घोषणा -पत्र की वार्षिक रूप से समीक्षा की जायेगी ।
- हमारे कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों की जानकारी हमारे वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है ।
- प्रकाशनों के जरिये भी जानकारी दी जायेगी, जो सूचना एवं सुविधा केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध है ।

शिकायतों के निपटान के लिये समय सीमा -

-	आवेदक को विज्ञप्ति / अन्तिरम उत्तर जारी करना	3 दिन
-	शिकायतों का अन्तिम निपटान	2 माह

सम्पर्क के स्थल

सम्पर्क सूत्रों के पते तथा दूरभाष संख्या निम्नलिखित है -

श्री जी.सी.पति,
अपर सचिव एवं मुख्य सर्तकता अधिकारी,
कमरा सं. 131, कृषि भवन,
नई दिल्ली . 110001
टेली न. 23383744

सुश्री उमा गोयल, संयुक्त सचिव (पी. जी.),
कमरा नं. 242- ए, कृषि भवन,
नई दिल्ली -110001
टेलीफोन फैक्सः 23384468 (का.)

श्री आर. के. गाबा,
उप सचिव (ओ. एण्ड एम./पी.जी.),
कृषि एवं सहकारिता विभाग,
कमरा सं. 247, कृषि भवन,
नई दिल्ली - 110001
टेलीफोन 23384280 (का.)

श्री विजय कुमार,
वरिष्ठ विश्लेषक (ओ. एण्ड एम./पी.जी.)
कमरा सं. 39, कृषि भवन,
नई दिल्ली -110001
टेलीफोन 23382926 (का.)